

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खैरथल तिजारा

क्रमांक :- 349

दिनांक :- 24.09.25

कार्यालय-आदेश

मैं रनवीर सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल तिजारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माह अक्टूबर, 2025 में निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निम्न अंकित तिथि में आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान, मृत्यु कालिक कथन, सुपुर्दगी, अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य/सेशन कार्य, प्रोटोकॉल हेतु अपने न्यायालय में वक्त प्रातः 11.00 ए एम से दोपहर 02.00 पी एम (मोर्निंग समय में-10ए.एम से 12ए.एम.) तक करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ -

माह अक्टूबर, 2025

क्रम संख्या	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर
1.	01-10-2025	Mrs. Kiran Rathee	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी	9988444499
2.	02-10-2025	Mrs. Kiran Rathee	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी	9988444499
3	05-10-2025	Mr. Amar Singh Khardiya	सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर	9460287600
4	11-10-2025	Dr. Rimjhim	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढबास	7827750587
5.	12-10-2025	Mrs. Preeti Singh	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाडी	7791978815
6.	18-10-2025	Mrs. Neetu Rani	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 किशनगढबास	8890301921
7	19-10-2025	Mrs. Tamanna Kaushik	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटकासिम	8755834111
8	20-10-2025	Mr. Suyash	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर	7976762565
9	21-10-2025	Mr. Suyash	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर	7976762565
10	22-10-2025	Mr. Ankur Agarwal	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 तिजारा	9829715535
11.	23-10-2025	Mrs. Shilpi Bansal	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 तिजारा	8386909409
12.	25-10-2025	Ms. Aishwarya S Agarwal	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा	9425306423
13.	26-10-2025	Ms. Aishwarya S Agarwal	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा	9425306423

नोट- 1-उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियों में पूर्व/पश्चात् दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

2-उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

3-अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

4-नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को नियत अवधि से कम से कम 04 दिन पूर्व सूचित करेंगे तो इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

5-अवकाश के दिन यदि सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो वह अपने परिक्षेत्र से सम्बंधित उक्त कार्य करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल
जिला खैरथल-तिजारा
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

क्रमांक :- 350 - 355

दिनांक :- 24.09.25

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, खैरथल तिजारा
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, भिवाडी / खैरथल-तिजारा
3. संबंधित पीठासीन अधिकारी
4. पुलिस कन्ट्रोल रूम, खैरथल / भिवाडी / ए डी पी ऑफिस, खैरथल
5. कार्यालय प्रति / एस.ओ. कम्प्यूटर शाखा, खैरथल (समस्त थानाधिकारी / पीठासीन अधिकारी को जरिये ई मेल सूचित करें)
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय खैरथल-तिजारा को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल
जिला खैरथल-तिजारा
एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा

क्रमांक :- 364

दिनांक :- 25.09.25

संशोधित कार्यालय-आदेश

मैं **रनवीर सिंह** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल तिजारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माह **अक्टूबर, 2025** के लिए रिमाण्ड ड्यूटी बाबत आदेश क्रमांक 443 दिनांक 05.06.25 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निम्न अंकित तिथि में आवश्यक दंडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान, मृत्यु कालिक कथन, सुपुर्दगी, अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य / सेशन कार्य हेतु अपने न्यायालय में वक्त प्रातः 11.00 ए एम से दोपहर 02.00 पी एम (मोर्निंग समय में-10ए.एम से 12ए.एम.) तक करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ -

माह अक्टूबर, 2025

क्रम. संख्या	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर
01.	22-10-2025	Ms. Aishwarya S Agarwal	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा	9425306423
02.	23-10-2025	Ms. Aishwarya S Agarwal	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा	9425306423
03.	25-10-2025	Mrs. Shilpi Bansal	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 तिजारा	8386909409
04.	26-10-2025	Mr. Ankur Agarwal	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 तिजारा	9829715535

- नोट- 1-**उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियों में **पूर्व/पश्चात्** दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
- 2-**उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।
- 3-**अभियुक्त को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।
- 4-**नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को नियत अवधि से कम से कम 04 दिन पूर्व सूचित करेंगे तो इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
- 5-**अवकाश के दिन यदि सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो वह अपने परिक्षेत्र से संबंधित उक्त कार्य करेंगे।


मुख्य न्यायाधीश
एवं खैरथल-तिजारा मजिस्ट्रेट
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

क्रमांक :- 365 - 370

दिनांक :- 25.09.25

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, खैरथल - तिजारा।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, भिवाडी/खैरथल-तिजारा
3. संबंधित पीठासीन अधिकारी
4. पुलिस कंट्रोल रूम, भिवाडी/खैरथल-तिजारा/ए डी पी ऑफिस, खैरथल
5. कार्यालय प्रति/एस.ओ. कम्प्यूटर शाखा, खैरथल (समस्त थानाधिकारी/
पीठासीन अधिकारी को जरिये ई मेल सूचित करे)
6. सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय अलवर को जिला न्यायालय की वेबसाईट
पर अपलोड करने हेतु


वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट
खैरथल - तिजारा
एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिल्हा खैरथल-तिजारा (राज०)

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा

क्रमांक :- 420

दिनांक :- 04.10.25

संशोधित कार्यालय-आदेश

मैं रनवीर सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल तिजारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माह अक्टूबर, 2025 के लिए रिमाण्ड ड्यूटी बाबत आदेश क्रमांक 349 दिनांक 24.09.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 05.10.2025 में नियत पीठासीन अधिकारी श्री अमर सिंह खारडीया, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर मोबाइल नम्बर 9460287600 की रिमाण्ड ड्यूटी के स्थान पर पीठासीन अधिकारी श्री लोकेश कुमार मीना, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-01, किशनगढबास, मोबाइल नम्बर 9887783170 को उक्त अंकित तिथि में आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान, मृत्यु कालिक कथन, सुपुर्दगी, अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य/सेशन कार्य हेतु अपने न्यायालय में वक्त. प्रातः 11.00 ए एम से दोपहर 02.00 पी एम (मोर्निंग समय में-10ए.एम से 12ए.एम.) तक करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ ।

नोट- 1- उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियों में पूर्व/पश्चात् दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

2-उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

3-अभियुक्त को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

4-नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को नियत अवधि से कम से कम 04 दिन पूर्व सूचित करेंगे तो इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

5-अवकाश के दिन यदि सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो वह अपने परिक्षेत्र से सम्बंधित उक्त कार्य करेंगे।

6- यदि किसी कारणवश रिमाण्ड ड्यूटी के अगले कार्यदिवस को अवकाश घोषित हो जाता है तो उक्त अवकाश की दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी पूर्व अवकाश की दिनांक में नियत पीठासीन अधिकारी द्वारा संपादित की जावेगी।

7- यदि किसी रिमाण्ड ड्यूटी वाले दिवस पर संबंधित पीठासीन अधिकारी किसी कारणवश अवकाश पर रहते हैं तो उक्त दिवस को रिमाण्ड ड्यूटी पूर्व अवकाश की दिनांक में नियत पीठासीन अधिकारी द्वारा संपादित की जावेगी।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा

क्रमांक :- 434

दिनांक :- 04.10.25

संशोधित कार्यालय-आदेश

मैं रनवीर सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरथल तिजारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माह अक्टूबर, 2025 के लिए रिमाण्ड ड्यूटी बाबत आदेश क्रमांक 420 दिनांक 04.10.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 05.10.2025 में नियत पीठासीन अधिकारी श्री लोकेश कुमार मीना, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 किशनगढबास मोबाइल नम्बर 9887783170 की रिमाण्ड ड्यूटी के स्थान पर पीठासीन अधिकारी डॉ रिमझिम, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढबास, मोबाईल नम्बर 7827750587 को उक्त अंकित तिथि में आवश्यक दंडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान, मृत्यु कालिक कथन, सुपुर्दगी, अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य/सेशन कार्य हेतु अपने न्यायालय में वक्त प्रातः 11.00 ए एम से दोपहर 02.00 पी एम (मोर्निंग समय में-10ए.एम से 12ए.एम.) तक करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ।

नोट- 1- उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियों में पूर्व/पश्चात् दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

2-उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन्न की जावेगी।

3-अभियुक्त को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

4-नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को नियत अवधि से कम से कम 04 दिन पूर्व सूचित करेंगे तो इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

5-अवकाश के दिन यदि सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो वह अपने परिक्षेत्र से संबंधित उक्त कार्य करेंगे।

6- यदि किसी कारणवश रिमाण्ड ड्यूटी के अगले कार्यदिवस को अवकाश घोषित हो जाता है तो उक्त अवकाश की दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी पूर्व अवकाश की दिनांक में नियत पीठासीन अधिकारी द्वारा संपादित की जावेगी।

7- यदि किसी रिमाण्ड ड्यूटी वाले दिवस पर संबंधित पीठासीन अधिकारी किसी कारणवश अवकाश पर रहते हैं तो उक्त दिवस को रिमाण्ड ड्यूटी पूर्व अवकाश की दिनांक में नियत पीठासीन अधिकारी द्वारा संपादित की जावेगी।

8- पूर्व अवकाश की दिनांक में नियत पीठासीन अधिकारी द्वारा भेजा गया मुख्यालय परित्याग का प्रार्थना पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावे तथा यदि पूर्व में उक्त पीठासीन

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश

एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

खैरथल-तिजारा (राज)

जिला खैरथल-तिजारा